



मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

कमांक-एफ-52-NN-01/2018/पाँच/
प्रति,

भोपाल, दिनांक /05/2018

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त (मध्यप्रदेश)।

विषय : मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018 – दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों की ERMS (Electoral Roll Management System) में एन्ट्री करने की संशोधित प्रक्रिया।

- संदर्भ : 1. पत्र कमांक एफ-52एनएन-01/2018/पाँच/239 दिनांक 16/03/2018
2. पत्र कमांक एफ-35पीएन-02/2018/तीन/196 दिनांक 16/03/2018
3. पत्र कमांक एफ-52एनएन-01/2018/पाँच/248-250 दिनांक 02/04/2018

—X—

1. कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।
2. मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2018 के तहत दिनांक 30 मई 2018 से 8 जून 2018 की समयावधि में प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) द्वारा दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्ररूप ER-1, ER-2, ER-3 अथवा "क", "ख", "ग" में नगर पालिका के लिए वार्ड में और पंचायत के लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्रों पर लिये जायेंगे।
3. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा एक अतिरिक्त दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की प्रविष्टि ERMS में की जाती है। विगत वर्षों में उक्त आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री करने की व्यवस्था निम्नानुसार रही है :-
 - i. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र एकत्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना।
 - ii. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुँचाना।
 - iii. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर बारकोड लगाकर स्केन करना। स्केन करने की कार्यवाही ERMS में कलेक्टर के एकाउन्ट से लागिन कर की जा सकती है।
 - iv. बारकोड लगाकर स्केन किये गये आवेदन पत्र वेण्डर को सौंपना।
 - v. वेण्डर द्वारा बारकोर्ड युक्त आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री। वेण्डर उन्हीं आवेदन पत्रों की एन्ट्री कर सकता है, जो कलेक्टर के एकाउन्ट से स्केन किये गये हों।
 - vi. एन्ट्री के पश्चात् आवेदन पत्र पुनः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास महुँचाये जाते हैं और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर वाले डोंगल से उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण (स्वीकृत अथवा खारिज) ERMS पर दर्ज करते हैं।
4. वर्ष 2016 एवं 2017 में कतिपय जिलों में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के लागिन/पासवार्ड आई.डी. तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग वेण्डर द्वारा किया गया है। कतिपय जिलों में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र सीधे वेण्डर को सौंपने की बात भी सामने आई है। कुछ जिलों में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा वेण्डर को दूरभाष पर नोट कराई गई जानकारी के आधार पर ERMS में आवेदन पत्रों की एन्ट्री करने के मामले भी प्रकाश में आये हैं। निर्देशों के विपरीत अनियमित तरीके से की गई उक्त कार्यवाहियों से मतदाता सूची के दूषित होने की सम्भावना बनी है।

5. अतएव आयोग द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा एकत्रित दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री करने की प्रक्रिया से वेण्डर को दूर रखने का निर्णय लिया गया है।
6. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा संकलित दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री करने की संशोधित प्रक्रिया अब निम्नानुसार होगी :-
 - i. नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को दी जायेगी।
 - ii. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को दी जाये।
 - iii. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस स्थिति में भी प्राधिकृत कर्मचारी को पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
 - iv. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये। रजिस्टर में प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके, के प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन पत्र किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये हैं।
 - v. प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें।
 - vi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे।
 - vii. "बारकोड" किसी भी स्थिति में वेण्डर द्वारा सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केवल उन्हीं बारकोड का उपयोग करेंगे, जो उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - viii. "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी।
 - ix. आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकते हैं और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है। एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे।
 - x. आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्केन करना होगा। यदि बारकोड स्केनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा।
 - xi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्थानीय स्तर पर बारकोड स्केन क्रय कर सकते हैं। एक अच्छा बारकोड स्केनर आसानी से 2 से 3 हजार रुपये में स्थानीय बाजारों में उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार मांग करने पर आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को बारकोड स्केनर क्रय करने के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
 - xii. ERMS में आवेदन पत्रों की एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न विभागों के डाटा एन्ट्री आपरेटर/लिपिकों की ड्यूटी आवश्यक संख्या में लगा सकते हैं।
 - xiii. आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे।

- xiv. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते हैं।
 - xv. निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है।
 - xvi. ERMS में दावा आपत्ति के आवेदन पत्रों की प्रविष्टि करने की प्रक्रिया बहुत आसान और यूजरफ्रेंडली है, तथापि एन्ट्री करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों को भलिभाति प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की एन्ट्री और उनके निराकरण की कार्यवाही के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची के मुद्रण आदि सम्बंधी कार्यवाहियाँ पूर्ववत् वेण्डर द्वारा की जायेंगी।
 8. कृपया निर्देश की प्रति सभी सम्बंधितों को उपलब्ध कराकर परिपालन सुनिश्चित करें।

(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

पृ0क0-एफ-52-NN-01/2018/पाँच/287
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 08/05/2018

1. संभाग आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लिमिटेड, अरेरा हिल्स भोपाल।
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (समस्त).मध्यप्रदेश।
4. उप सचिव (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अवर सचिव (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
6. उप संचालक (लेखा) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
7. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।

उप सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग